वृद्धाश्रम (सहारा)

1. उद्देश्य

इस योजना अंतर्गत वृद्धाश्रम "सहारा" का निर्माण तथा संचालन समाहित होगी जिसमें राज्य के निराश्रित एवं निर्धन वृद्धजनों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार, सहयोग एवं उचित देख-भाल हेतु आवासन, वस्त्र, भोजन, चिकित्सकीय सुविधाएं आदि उपलब्ध कराया जाता है।

2. निधि का संवितरण

वृद्धाश्रम सहारा योजना शत प्रतिशत राज्य स्कीम है।

3. देय राशि

इस योजना अंतर्गत निःशुल्क आवासन, वस्त्र, भोजन, मनोरंजन, चिकित्सकीय सुविधाएँ, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण आदि उपलब्ध कराया जाता है|

4. पात्रता

60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वैसे वृद्धजन जो बी0पी0एल0 परिवार से हो या जिनकी आय 60000/- (साठ हजार रूपया) से कम हो।

5. प्रक्रिया

योजना का नाम	आवेदन की प्रक्रिया	अनुमोदन
वृद्धाश्रम	सादे कागज में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में आवेदन किया जाता है	जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति

6. उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया

जिला कार्यान्वयन इकाई स्वयं सेवी संस्थाओं एवं जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर सक्षम द्वारा समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार किया जाता है तथा निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जाता है।

7. अनुश्रवण की प्रक्रिया

इस योजना अन्तर्गत जिला स्तर पर सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग साथ ही बाल संरक्षण इकाई अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत है। बिहार माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2012 के तहत जिला स्तरीय समिति द्वारा वृद्धाश्रम का सतत अनुश्रवण किया जाता है एवं इसका प्रतिवेदन निदेशालय/विभाग को भेजा जाता है।

8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहाँ इस योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से सम्बंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इस योजना से संबंधित शिकायत जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी तथा राज्य स्तर पर निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है।